प्रेस नोट दिनांक- 14.05.2025

जनपद चन्दौली

◆जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा गोतस्करी के विरूद्ध लगातार की जा रही है कार्यवाही

◆थाना चन्दौली, थाना सैयदराजा व थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा कुल 11 राशि गोवंश बरामद करते हुए 04 शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन दिगम्बर कुशवाहा के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ आशुतोष के कुशल मार्गदर्शन में थाना चन्दौली द्वारा 01 पिकअप वाहन से 06 राशि (03 राशि मृत) गोवंश बरामद किये गये।, थाना सैयदराजा द्वारा 01 मैजिक वाहन से 02 राशि गोवंश बरामद करते हुए 02 शातिर तस्कर व तस्करी में संलिप्त 01 तस्कर/पासर को 01 मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया व थाना चकरघट्टा द्वारा 03 राशि गोवंश बरामद करते हुए 01 शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया।

थाना चन्दौली-

थाना चन्दौली पुलिस टीम को गोल्फ चन्दौली द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप जिसका नम्बर UP67BT4017 है जिसमें क्रूरता पूर्वक वध हेतु गोवंशो को भरकर चन्दौली के रास्ते बिहार जा रहे थे कि गाडी कामाख्या ढाबा से आगे सर्विस लेन के किनारे नाले में पलट गयी है जिसमें क्रुरता पूर्वक गोवंश भरे हुए है तथा मौके पर उक्त पिकअप में कोई चालक नही है।

इस सूचना पर चन्दौली पुलिस मौके पर पहुँची ग्रामवासियों व क्रेन की मदद से उक्त पिकअप को बाहर सर्विस लेन पटरी पर निकलवा पिकअप की तलाशी ली गयी तो कुल 06 राशि गोवंश बरामद किये गये जिसमें से 03 गोवंश की मृत्यु हो गयी है।
वाहन उक्त पर लगे नम्बर प्लेट के नम्बर को E- चालान एप पर चेक किया गया तो उक्त वाहन समीम पुत्र रफीक निवासी HS 200 सहजौर मोगल सराय चन्दौली 232101 के नाम से पंजीकृत है।
बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/2025 धारा धारा 3/5A/5B/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0 व धारा 325 BNS पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स. 103/2025 धारा 3/5A/5B/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0 व धारा 325 BNS थाना व जिला चन्दौली
विवरण बरामदगी –

1.03 राशि गोवंश पशु जीवित व 03 राशि गोवंश पशु मृत (कुल 06 राशि गोवंश बरामद)

2.पिकअप वाहन संख्या UP67BT4017

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

2.उ.नि. राजेश कुमार सिंह थाना व जिला चन्दौली

3.उ.नि. रामनाथ थाना व जिला चन्दौली।

4.हे0का0 अशोक सिंह थाना व जिला चन्दौली

5.हे.का. रवि कुमार गुप्ता थाना व जिला चन्दौली.

थाना सैयदराजा-

दिनांक 13.05.2025 को समय करीब 11.45 बजे उ0नि0 धर्मदेव प्रसाद मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम जेठमलपुर एनएच 02 हाइवे के उत्तरी लेन पर जेठमलपुर के तिराहे के पास से 01 टाटा मैजिक बिना नम्बर प्लेट से कुल 02 राशि गोवंश गाय को बरामद करते हुए 02 शातिर गोतस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 110/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 14.05.2025 को समय करीब 09.00 बजे ग्राम जेठमलपुर से ही उक्त मुकदमें मे नामित अभियुक्त/पासर आशु यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी ग्राम सोहदवार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुन्दरम यादव पुत्र पप्पू यादव निवासी ग्राम बभनपुरा पोस्ट कमौली थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 24
2. पवन कुमार यादव पुत्र तहसीलदार यादव निवासी ग्राम ताला चौबेपुर वरूणा कमि0 वाराणसी
3. आशु यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी ग्राम सोहदवार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी व बरादगी का स्थान व समय-

एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम जेठमलपुर एनएच 02 हाइवे के उत्तरी लेन पर जेठमलपुर के तिराहे के पास

दिनांक 13.05.2025 को समय करीब 11.45 बजे तथा दिनांक 14.05.2025 को समय 09.00 बजे जेठमलपुर तिराहे के पास

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 टाटा मैजिक बिना नम्बर प्लेट व एक मो.सा.
2. 02 राशि गोवंश (गाय)
3. दो मोबाइल एन्ड्रायड मोबाइल
4. 600 नगदी रुपया

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय- थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 धर्मदेव प्रसाद थाना सैयदराजा चन्दौली।
3. हे0का0 संतोष सिंह चन्देल थाना सैयदराजा चन्दौली
4. का0 रविशंकर गुप्ता थाना सैयदराजा चन्दौली
5. का0 राजू सिंह सैयदराजा चन्दौली।

थाना चकरघट्टा-

दिनांक 13.05.2025 को रात्री 21.00 बजे थानाध्यक्ष चकरघट्टा भूपेन्द्र कुमार निषाद मय हमराहियान मुखबिर की सूचना के आधार पर झरियावा जंगल के रास्ते पैदल हाँककर बध हेतु बिहार ले जा रहे 03 राशि गौवंश के साथ 01 गौतस्कर को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सन्तलाल यादव उर्फ संता यादव पुत्र स्व0 रामसूरत यादव निवासी पडहवा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली के रूप मे हुयी।

पूछताछ मे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह पहले भी गौतस्करी के अपराध मे जेल जा चुका है। तथा देहात क्षेत्रो से छुट्टा घूम रहे गौवंशो को एकत्रित कर जंगल के रास्ते झरियावा, जमसोत होते हुए विहार ले जाकर ऊंचे दामो मे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर स्थानीय पर मु0अ0सं0 21/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सन्तलाल यादव उर्फ संता यादव पुत्र स्व0 रामसूरत यादव निवासी पडहवा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र करीब 50 वर्ष

अभियुक्त सन्तलाल यादव उर्फ सन्ता यादव का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 27/1996 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना नौगढ जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 07/2001 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना नौगढ चन्दौली

3.मु0अ0सं0 21/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना चकरघट्टा चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

03 राशि गौवंश (03 राशि बैल)

गिरफ्तारी का दिनांक व समय-

दिनांक 1305.2025 समय 21.00 बजे स्थान झरियावा जंगल

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद थाना चकरघट्टा चन्दौली

2.हे0का0 शशिकान्त यादव थाना चकरघट्टा चन्दौली

4.हे0का0 अजय कुमार यादव थाना चकरघट्टा चन्दौली

5.का0 शैलेन्द्र यादव थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆चन्दौली पुलिस द्वारा गोवध व आर्म्स एक्ट के अभियोग में प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी अभियुक्त को अलग-अलग अभियोग में 03-01 वर्ष की कठोर कारावास व 10000-1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

◆मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 03 वर्ष की कठोर कारावास व 10000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । व आर्म्स एक्ट 01 वर्ष की कठोर कारावास व 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 06.11.2004 को धारा- 3/5ए/8 गो.नि.अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.खरपत्तू उर्फ कमरुद्दीन पुत्र फेकू मुसलमान निवासी ताजपुर थाना सकलडीहा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या 89/2004 धारा- 3/5ए/8 गो.नि.अधि0 थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी व विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार हे0का0 हरिलाल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-14.05.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.खरपत्तू उर्फ कमरुद्दीन पुत्र फेकू मुसलमान निवासी ताजपुर थाना सकलडीहा चन्दौली को 03 वर्ष की कठोर कारावास व 10000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

2-दिनांक 06.11.2004 को धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.खरपत्तू उर्फ कमरुद्दीन पुत्र फेकू मुसलमान निवासी ताजपुर थाना सकलडीहा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या 90/2004 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी व विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार हे0का0 हरिलाल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-14.05.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.खरपत्तू उर्फ कमरुद्दीन पुत्र फेकू मुसलमान निवासी ताजपुर थाना सकलडीहा चन्दौली को 01 वर्ष की कठोर कारावास व 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

<u>(ऑपरेशन कन्विक्शन)</u>

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆चन्दौली पुलिस द्वारा कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी को गोवध व आर्म्स एक्ट के अभियोग में प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी अभियुक्त को अलग-अलग अभियोग में 03-01 वर्ष की कठोर कारावास व 10000-1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

◆मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 03 वर्ष की कठोर कारावास व 10000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । व आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष की कठोर कारावास व 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 06.11.2004 को धारा- 3/5ए/8 गो.नि.अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राम दुलारे पुत्र बेचू राम निवासी पौरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या 87/2004 धारा- 3/5ए/8 गो.नि.अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार हे0का0 हरिलाल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-14.05.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.राम दुलारे पुत्र बेचू राम निवासी पौरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को 03 वर्ष की कठोर कारावास व 10000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

2-दिनांक 06.11.2004 को धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राम दुलारे पुत्र बेचू राम निवासी पौरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या 88/2004 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार हे0का0 हरिलाल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-14.05.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.राम दुलारे पुत्र बेचू राम निवासी पौरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को 01 वर्ष की कठोर कारावास व 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।